भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †461

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय स्कूल

†461. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय योजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का महाराष्ट्र सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) वर्ष 2018-19 से जनजातीय बच्चों (कक्षा VI से XII तक) को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है। पहले ईएमआरएस संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत एक घटक था। नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले (जनगणना 2011 के अनुसार) प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, मंत्रालय ने वर्ष 2026 तक देश भर में 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज की तिथि तक, देश भर में कुल 708 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 405 स्कूलों के कार्यात्मक होने की सूचना है। महाराष्ट्र सहित ईएमआरएस का राज्यवार सारांश **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए एक स्वायत्त संगठन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) बनाया गया है। आवर्ती लागत प्रति

छात्र प्रति वर्ष 1.09 लाख रुपये है और प्रत्येक ईएमआरएस के निर्माण की पूंजी लागत मैदानी क्षेत्रों में प्रति स्कूल 37.80 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर/पहाड़ी/एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में प्रति स्कूल 48.00 करोड़ रुपये है। मंत्रालय एनईएसटीएस को निधियां जारी करता है और एनईएसटीएस ईएमआरएस के निर्माण और स्कूलों के संचालन की आवर्ती लागत के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निर्माण एजेंसियों/राज्य सोसायटियों को निधियां जारी करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यवार, एनईएसटीएस द्वारा ईएमआरएस के लिए जारी निधि, **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों को शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2021-22 से 2023-24 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत अनुदान के अंतर्गत आवासीय विद्यालय से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वीकृत निधियों का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय "स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता" की योजना का भी संचालन कर रहा है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों और आवासीय विद्यालय चलाने और रखरखाव के लिए भी अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सहित राज्यवार वित्तीय सहायता **अनुलग्नक-IV** के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय (एमओई), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) को लागू कर रहा है, जो केंद्रीय विद्यालयों की एक प्रणाली है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध पूरी तरह से आवासीय और सह-शिक्षा विद्यालय हैं, जिनमें जनजातीय छात्रों सहित भारत के ग्रामीण बहुल क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा तक की कक्षाएं हैं।

शिक्षा मंत्रालय स्कूल और साक्षरता विभाग 2018-19 से प्रभावी "समग्र शिक्षा" योजना भी क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतरों को पाटना इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। यह योजना लड़कियों और अजजा, अजजा, अल्पसंख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडर के बच्चों तक पहुँचती है। समग्र शिक्षा के तहत, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है, जो देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कक्षा VI से XII तक की लड़कियाँ जिनकी आयु 10-18 वर्ष के बीच है और जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित हैं के लिए आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी स्थापित करने के पीछे उद्देश्य वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग अंतरों को कम करना है। 707286 लड़कियों के (181503 अजजा लड़कियों सहित) नामांकन के साथ 5116 केजीबीवी कार्यात्मक हैं। 31.03.2024 तक केजीबीवी की राज्य-वार स्थिति और 2021-22 से 2023-24 तक केजीबीवी के लिए अनुमोदित आवर्ती निधि का विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †461 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

देश में ईएमआरएस का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत ईएमआरएस की संख्या	कार्यात्मक ईएमआरएस की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	28	28
2	अरुणाचल प्रदेश	10	5
3	असम	15	1
4	बिहार	3	0
5	छत्तीसगढ़	75	74
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1
7	गुजरात	45	34
8	हिमाचल प्रदेश	4	4
9	जम्मू एवं कश्मीर	6	6
10	झारखंड	89	7
11	कर्नाटक	12	12
12	केरल	4	4
13	लद्दाख	3	0
14	मध्य प्रदेश	70	63
15	महाराष्ट्र	**37**	**37**
16	मणिपुर	21	3
17	मेघालय	35	0
18	मिजोरम	17	6
19	नागालैंड	22	3
20	ओडिशा	108	32
21	राजस्थान	31	30
22	सिक्किम	4	4
23	तमिलनाडु	8	8
24	तेलंगाना	23	23
25	त्रिपुरा	21	6
26	उत्तर प्रदेश	4	3
27	उत्तराखंड	4	4
28	पश्चिम बंगाल	8	7
	कुल योग	**708**	**405**

अनुलग्नक-II

"जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †461 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ईएमआरएस के लिए एनईएसटीएस द्वारा जारी की गई निधियां (लाख रुपए में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	14,591.28	12,600.57	10,795.05
2	अरुणाचल प्रदेश (एनई)	119.54	1,010.87	693.91
3	असम (एनई)	1,800.00	1,433.65	2,732.67
4	बिहार	0.00	0.00	8.95
5	छत्तीसगढ़	13,259.66	19,435.93	15,888.89
6	दादरा एवं नगर हवेली	252.55	568.22	163.45
7	गुजरात	1,060.00	10,088.96	14,387.55
8	हिमाचल प्रदेश	599.11	483.18	829.76
9	जम्मू एवं कश्मीर	392.40	1,200.00	891.40
10	झारखंड	11,309.20	23,562.27	23,915.13
11	कर्नाटक	3,672.86	1,768.84	2,677.67
12	केरल	229.56	1,515.66	249.00
13	लद्दाख	10.00	450.00	800.00
14	मध्य प्रदेश	3,560.00	31,817.78	14,437.19
15	**महाराष्ट्र**	**4,393.74**	**12,919.15**	**8,525.91**
16	मणिपुर (एनई)	398.08	2,369.98	3,044.92
17	मेघालय (एनई)	1,100.00	800.00	21,014.66
18	मिजोरम (एनई)	6,085.41	2,094.54	1,242.52
19	नागालैंड (एनई)	9,481.60	557.71	18,377.12
20	ओडिशा	10,648.82	28,164.31	48,934.80
21	राजस्थान	18,214.71	19,463.30	13,687.79
22	सिक्किम (एनई)	1,037.88	1,047.35	1,118.83
23	तमिलनाडु	1,190.62	1,098.78	1,099.80
24	तेलंगाना	19,695.52	12,794.53	14,276.17
25	त्रिपुरा (एनई)	5,715.44	6,435.18	6,670.35
26	उत्तर प्रदेश	337.49	596.23	624.14
27	उत्तराखंड	598.39	474.95	1,537.53
28	पश्चिम बंगाल	0.00	2,303.67	1,869.70

अनुलग्नक-III

"जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †461 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-III

2021-22 से 2023-24 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत अनुदान के तहत आवासीय विद्यालयों के लिए स्वीकृत निधियां का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पीएसी द्वारा स्वीकृत निधि (लाख रुपए में)		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	832.50	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	115.00	-
3	बिहार	-	-	15.75
4	छत्तीसगढ़	1867.00	-	-
5	गुजरात	3396.15	2848.83	-
6	हिमाचल प्रदेश	-	-	700.00
7	झारखंड	914.50	1693.00	596.00
8	कर्नाटक	60.00	570.00	-
9	मध्य प्रदेश	-	1407.99	4304.85
10	मिजोरम	-	-	589.21
11	राजस्थान	1732.60	2619.03	1200.00
12	तेलंगाना	-	2651.25	1500.00
13	त्रिपुरा	-	125.00	-
14	उत्तर प्रदेश	-	-	206.37
15	पश्चिम बंगाल	-	-	2000.00

अनुलग्नक -IV

"जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †461 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-IV

वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता" योजना के तहत आवासीय विद्यालय परियोजनाएं चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को जारी की गई राज्य-वार निधियां				
				(निधियां रुपए में)
क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	1914030	17117118	1730059
2	अरुणाचल प्रदेश	15349317	15265349	13881193
3	असम	2042019	-	-
4	छत्तीसगढ़	9878773	6041007	14064345
5	गुजरात	1429430	6559575	4691342
6	हिमाचल प्रदेश	10499374	20315202	39076547
7	जम्मू और कश्मीर	2672910	3676230	-
8	झारखंड	30336133	32569380	45408339
9	कर्नाटक	11154603	15410137	13407500
10	केरल	7674134	4121156	-
11	लद्दाख	3689713	7432575	8453665
12	मध्य प्रदेश	102366915	99526504	87264873
13	**महाराष्ट्र**	**49730882**	**103602814**	**87120825**
14	मणिपुर	47895768	13543334	33574349
15	मिजोरम	6079087	4924428	3869288
16	ओडिशा	230811210	176695300	392551276
17	राजस्थान	-	14464709	10960396
18	सिक्किम	1597950	3651396	3593490
19	तमिलनाडु	5383079	-	-
20	तेलंगाना	2805524	1473957	6550359
21	त्रिपुरा	156271	9568845	4208501
22	उत्तर प्रदेश	-	3379750	2506163
23	उत्तराखंड	5390422	9932496	3662922
24	पश्चिम बंगाल	32408277	21132413	64501505

अनुलग्नक-V

"जनजातीय छात्रों हेतु आवासीय विद्यालय" के संबंध में एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †461 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-V

31.03.2024 तक केजीबीवी की राज्यवार स्थिति और केजीबीवी के लिए स्वीकृत आवर्ती निधि

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल कार्यात्मक(कार्यशील) केजीबीवी	अजजा नामांकन	केजीबीवी के लिए स्वीकृत आवर्ती निधि (लाखों रुपए में)		
				2023-24	2022-23	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	499	11974	38736.99	39556.18	32980.87
2	अरुणाचल प्रदेश	70	7929	4184.20	3764.20	2779.51
3	असम	145	4873	8976.79	7949.24	6507.26
4	बिहार	595	5057	36432.62	24525.88	19296.11
5	छत्तीसगढ़	121	12181	5840.15	5573.37	5175.66
6	डीएनएच-डीडी	2	146	80.82	68.98	37.88
7	गुजरात	167	5154	9305.07	8783.60	6007.05
8	हरियाणा	67	0	3634.70	3215.21	2342.64
9	हिमाचल प्रदेश	14	122	508.82	487.89	388.72
10	जम्मू एवं कश्मीर	92	1759	5670.40	4284.47	3249.64
11	झारखंड	203	25339	19801.23	19597.50	15954.84
12	कर्नाटक	145	2059	6958.80	7183.32	4640.07
13	केरल	1	64	39.73	39.81	29.48
14	लद्दाख	15	436	626.30	568.70	385.07
15	मध्य प्रदेश	408	27025	19967.50	16851.37	12018.13
16	महाराष्ट्र	**86**	**4111**	**5092.33**	**4168.60**	**2386.57**
17	मणिपुर	12	1386	1043.40	981.28	740.89
18	मेघालय	10	375	518.33	442.15	321.99
19	मिजोरम	2	150	63.44	49.53	47.64
20	नागालैंड	22	1900	893.01	856.35	500.37
21	ओडिशा	295	16858	19481.67	16002.08	11132.61
22	पंजाब	29	0	1413.17	1389.81	997.59
23	राजस्थान	316	13209	21243.24	20578.45	13316.84
24	सिक्किम	1	95	78.59	78.59	61.69
25	तमिलनाडु	105	1960	5124.48	4506.61	3813.46
26	तेलंगाना	701	29628	53416.61	48915.13	32880.62
27	त्रिपुरा	15	1754	754.23	668.44	531.25
28	उत्तर प्रदेश	778	1225	54283.95	45795.59	34769.09
29	उत्तराखंड	40	412	2066.30	1887.48	1351.52
30	पश्चिम बंगाल	160	4322	5184.53	3754.69	3068.03
	कुल योग	**5116**	**181503**	**331421.37**	**292524.51**	**217713.09**

*****